न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 255/2023 **निर्णय दिनांकः–** 18-12-2024
(जीसीएमएस संख्या 2023/307)

1. तीजा देवी पत्नी कोजाराम जाति जाट निवासीं 10–500 आरडी गोगलीवाला तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. नूर मोहम्मद पुत्र अतुखा जाति मुसलमान निवासी गोगलीवाला तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 16–10–2023
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 16–10–2023 जिसके द्वारा अपीलांट की प्राथमिकता होते हुए अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि चक 1आरएसएम के मुरब्बा नम्बर 98/47 तादादी 25 बीघा भूमि के बतौर विशेष आवंटन हेतु अपीलांट् व अन्य काश्तकारों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये थे। उक्त आवंटनों पर वादग्रस्त भूमि की पात्रता अन्य आवेदक नूरमोहम्मद खां पुत्र अतु खां की प्रथम वरीयता मानते हुए आराजी जैर का आवंटन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के आवेदन को तहसील पूगल से बाहर का आवेदक मानते हुए खारिज कर दिया गया जबकि अपीलांट ने अपने आवेदन के साथ तहसील पूगल के निवासी होने के समस्त दस्तावेज जमा करवाये थे। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या दोनों एक ही गांव की रोही के निवासी है। वादगत भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की वरीयता समान थी। मगर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुंचाने की नियत से अपीलांट को तहसील पूगल से बाहर का निवासी मानते हुए वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कर दिया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण में सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होते हुए भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने धारण की भूमि छिपाते हुए वादगत भूमि का आवंटन करवा लिया है। अपीलांट ने अपने आवेदन के साथ तमाम दस्तावेज यथा वोटर कार्ड जो तहसील पूगल के पत्ते का है, मूल निवासी प्रमाण पत्र जो चक 10–500 डीओडीडी तहसील पूगल का है, सद्भाविक कृषक का प्रमाण पत्र जो तहसील पूगल का है, आधार कार्ड जो तहसील पूगल का है, वर्ष 2004, 2014 एवं 2018 की निर्वाचक नामावली जो तहसील पूगल के ग्राम 10–500 डीओडीडी की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1983 एवं वर्ष 1993 में जारी निर्वाचक नामावली में ग्राम अजीतमाना की है, चूंकि अपीलांट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का विस्थापित है एवं राज्य सरकार द्वारा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के निवासियों को राजस्थान में जहां निवास कर रहे हो उन्हें वहीं का निवासी मानने का सर्कूलर जारी किया जा चुका था। इन तमम तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि अपीलांट/प्रार्थी तहसील पूगल से बाहर के निवासी है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि पर अपीलांट की वरियता रही है तथा उक्त तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए ही अपीलांट् की अपील को स्वीकार किया गया था। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन, आवंटन नियमों के विपरीत होन से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट् को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट्, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य आवेदकों के आवेदन होने पर उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने आंवटन सलाहकार समिति की बैठक में आंवटन सलाहकार समिति के सदस्यों की राय से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व एक अन्य आवेदक नत्थू खां पुत्र अतु खां उसी राजस्व ग्राम के मूल निवासी होने के कारण प्राथमिकता में रखा गया था उसके पश्चात अन्य आवेदक द्वारा वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन करने की सहमति प्रदान कर दी गई थी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के तमाम दस्तावेजों की जांच करते हुए वादगत भूमि का आवंटन

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विधिवत तरीके से किया गया है। अपीलांट ने केवल मात्र आवंटी को तंग परेशान करने की नियत से अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट के पति के नाम पर करीब 50 बीघा से अधिक भूमि धारण में है। अपीलांट के पति के नाम से भूमि होने से अपीलांट भूमिहीन श्रेणी के काश्तकार नहीं थे एवं अपीलांट ग्राम अजीतमाना की निवासी होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने वरीयता में अपीलांट का आवेदन खारिज किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में वादग्रस्त भूमि चक 1 आरएसएम के मुरब्बा नम्बर 98/47 की 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट सहित कुल 4 आवेदन प्रस्तुत होने पर उक्त भूमि का आवंटन नूरमोहम्मद खां पुत्र अतु खां को होने पर अपीलांट् द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश से अपीलांट का आवेदन इस आधार पर खारिज किया है कि अपीलांट/प्रार्थी तहसील पूगल से बाहर के निवासी है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मूल निवासी, निर्वाचक नामावली वर्ष 2004, वर्ष 2014 एवं 2018 तथा सद्भावी कृषक प्रमाण पत्र उक्त तमाम दस्तावेजों में अपीलांट तहसील पूगल का निवासी होना अंकित है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भूमि तस्दीक के प्रार्थना पत्र पर भू–अभिलेख शाखा की रिपोर्ट क्रमांक 3102 दिनांक 23–10–2023 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम गोगलीवाला के खसरा नम्बर 34/4 से चक 10–500 डीओडीडी बना है। वादगत भूमि ग्राम गोगलीवाला में स्थित है एवं अपीलांट जिस चक एवं मुरब्बा नम्बर में निवास करता है वो भी ग्राम गोगलीवाला से ही बना है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बाहर का निवासी मानने में कानूनी भूल की है। जो पुष्टि योग्य आदेश नहीं होने से काबिले खारिज है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी पूगल का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–04–2023 एवं आदेश दिनांक 16–10–2023 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए वादग्रस्त भूमि के आवंटन के संबंध में पुनः विधि सम्मत् की कार्यवाही की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18-12-2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर